संख्या-166/2022/1337/22-2-2022-17(66)/2011

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री सतवीर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14458/प्रोबे0अनु0(2)-229/सला0समिति/(एम-12-04-2022)/2022 दिनांक 05.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री सतवीर, ग्राम-सोन्टा, थाना-मन्सूरपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनीं विवाद को लेकर दिनांक 20.06.1984 को अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी तथा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 20.10.1987 को अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों व चाकू से 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-373/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201/149, 506/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 05.03.1990 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.07.1994 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है तथा सत्र परीक्षण संख्या-34/1988 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 08.07.1991 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-373/1984 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2022 तक 27 वर्ष 05 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 36 वर्ष 03 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा सत्र परीक्षण संख्या-34/1988 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2022 तक 16 वर्ष 02 माह 26 दिन की अपरिहार तथा सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 13.12.2019 द्वारा दिये गये अभिमत में अंकित किया गया है कि बंदी योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र सत्यवीर, जनपद-मुजफ्फरनगर की यदि समयपूर्व रिहाई की जाती है, तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-373/1984 में जमीनीं विवाद को लेकर दिनांक 20.06.1984 को अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी तथा सत्र परीक्षण संख्या-34/1988 में जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 20.10.1987 को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों व चाकू से 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र श्री सतवीर को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस रिट याचिका सं0-5102/2021 योगेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-24.02.2022 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी योगेन्द्र उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-16636) पुत्र श्री सतवीर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-166/2022/1337(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- सुश्री अर्चना सिंह अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।